# राजस्थान सरकार
## चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.2(216)डीएमई/2016/ जयपुर दिनांकः– 17 MAR 2017

**परिपत्र**

विषयः– राजस्थान राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों के विभागों में विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन के संबंध में समेकित दिशा निर्देश।

इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22.06.2016, 28.12.2016 एवं 09.01.2017 के अतिक्रमण में राज्य के मेडिकल कॉलेजों के विभागों में विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील (रिट) संख्या 1878/14 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2016 के निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार समेकित दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

1. प्रथमतः शैक्षणिक चिकित्सालयों में संबंधित विशिष्टता के वरिष्ठतम आचार्य/सह–आचार्य* को विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जावेगा जो एक बार में अधिकतम 2 वर्ष के लिए विभागाध्यक्ष रहेगें। यह नियुक्ति परिपत्र जारी करने की दिनांक से प्रभावी होगी। परिपत्र दिनांक 22.06.2016, 28.12.2016 एवं 09.01.2017 के अनुसरण में प्रधानाचार्य एंव नियंत्रक के स्तर से जारी सभी आदेश निरस्त किए जाते है एवं दिनांक 22.06.2016 से पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है।
2. तत्पश्चात वरिष्ठता के आधार पर क्रमानुसार आचार्य/सह–आचार्य* को विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जावेगा, जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी। विभाग में एक ही आचार्य/सह–आचार्य* होने की स्थिति में दूसरा आचार्य/सह–आचार्य* उपलब्ध होने तक कार्यकाल में वृद्धि की जा सकेगी।
3. यदि आचार्य/सह–आचार्य* द्वारा विभागाध्यक्ष बनने में लिखित रूप से अनिच्छा प्रकट की जाती है अथवा उसके विरूद्ध विभागीय जांच/न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज है अथवा प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी की गई है अथवा राज्य सरकार द्वारा आरोप पत्रादि जारी किये गये है तो संबंधित विभाग में कार्यरत अगले वरिष्ठ आचार्य/सह–आचार्य* को विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जावेगा।
4. विभागाध्यक्ष के नियुक्ति आदेश क्रमानुसार (on Rotation) संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक द्वारा जारी किये जायेगें।
5. संबंधित शैक्षणिक चिकित्सालयों के विभागाध्यक्ष के अन्य महाविद्यालय में स्थानान्तरण, त्याग–पत्र, सेवानिवृति अथवा अन्य की स्थिति में स्वतः ही वरिष्ठता में अगले आचार्य/सह–आचार्य* को विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा।
6. पुनः क्रम (Rotation) प्रारम्भ होने पर पूर्व में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके आचार्य/सह–आचार्य* को वरिष्ठता के आधार पर विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जावेगा जब तक कि वरिष्ठता क्रम में ऐसा आचार्य/सह–आचार्य* जिसकी विभागाध्यक्ष के रूप में 2 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई है, उपलब्ध नहीं होता है।
7. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक उनके सम्बद्ध शैक्षणिक चिकित्सालयों के सभी विभागों को उक्त प्रक्रिया के तहत विभागाध्यक्ष की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करेगें।

(* विभाग में संबंधित विषय का नियमित आचार्य उपलब्ध नहीं होने पर)

उक्त दिशा–निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से

(डी0एल0 तंवर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर।
5. अति. निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, डीन–झालावाड़।
7. कुल सचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. विधि शाखा, मुख्यालय।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव